संख्याः 1620 /XI/18/56(31)2016

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 04 जुलाई, 2018

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लक्ष्यों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि एवं उसके सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी के पत्र 836/दिनांक 22.06.2018 ,पत्र संख्या 614/दिनांक 05.06.2018 एवं उप निदेशक, राज्य डी0आर0डी0ए0, प्रकोष्ठ देहरादून का पत्र संख्या–119/ दिनांक 29 मई, 2018 तथा भारत सरकार के पत्र सं0 J-12037/01/2016-RH(A/C)-1-Uttarakhand दि0 01.05.18, पत्र सं0 J-12037/01/2016-RH(A/C)-1/A-Uttarakhand दि0 01.05.18 एवं J-12037 /01/2016-RH(A/C)-1/B-Uttarakhand दि0 01.05.18 एवं भारत सरकार के पत्र J-12037/01/2018-RH(A/C)-2 दिनांक 28-05-2018 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित केन्द्र सहायतित **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पूर्व नाम इन्दिरा आवास योजना)** के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अवमुक्त द्वितीय किश्त की केन्द्रांश की धनराशि ₹6608.015 लाख अवमुक्त की गयी है, जिसका 10 प्रतिशत राज्यांश ₹734.224लाख है, इस प्रकार कुल धनराशि ₹7342.239 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2018 के द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रू0 2990.285 लाख भी अवमुक्त किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश को सम्मिलित करते हुए धनराशि ₹3322.540 लाख अवमुक्त किया जाना है। इस हेतु शासन के पत्र संख्या 1042/दिनांक 25.05.2018 के द्वारा मात्र केन्द्रांश रू0 13.00 करोड़ ही अवमुक्त किया गया है तथा शेष धनराशि **₹9364.779 लाख** अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार अनुदान **संख्या–19 में रू0 595347 हजार** तथा **अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत रू0 259379 हजार अवमुक्त** किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संस्तुति तथा अनुरोध के क्रम में में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत **अनुदान संख्या–19 हेतु धनराशि रू0 595347 हजार** तथा **अनुदान संख्या–30 हेतु धनराशि रू0 259379 हजार, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 854726 हजार (रू0 पिचासी करोड़ सैंतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2018–19 में** संलग्न प्रपत्र बी0एम0 9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त करते हुए निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने व योजना की गाइड लाइन के अनुरूप नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

01. उपरोक्त धनराशि का आवंटन अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी (State Implementing Agency) के खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। इस सम्बन्ध स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के शासनादेश सं0–519 दिनांक 02.04.2018 में दिये गये निर्देशानुसार व्यय दिनांकः 31.03.2019 तक सुनिश्चित किया जाय।
02. राज्यांश की धनराशि का आवंटन नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर एवं बजट की सीमा में किये जाने का दायित्व आपका होगा। प्रश्नगत धनराशि उन्हीं कार्यों/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
03. प्रश्नगत योजना में निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से केन्द्रांश की पूर्व स्वीकृत किश्त की धनराशि के सापेक्ष यदि राज्यांश की अवशेष देयता हो, की नियमानुसार स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जाय।
04. उक्त योजना की धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

05. उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मानकों व विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

06. योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय इन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे कार्यों पर किया जाय।

07 स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

08. भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित शर्तों एवं स्वीकृत प्रस्तावानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए। नियमानुसार व्यय न होने की स्थिति में सम्बन्धित परियोजना निदेशक का दायित्व निर्धारित किया जाए।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में **अनुदान सं0– 19** के अधीन लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0107– प्रधानमंत्री आवास योजना 42–अन्य व्यय की मद से **रू0 595347 हजार तथा अनुदान सं0 30** के अधीन लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–0103– प्रधानमंत्री आवास योजना 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद से **रू0 259379 हजार, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 854726 हजार (रू0 पिचासी करोड़ सैंतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र)** उक्त मदों से वहन किया जायेगा तथा मानक मदों की सुसंगत इकाइयों के नाम डाला जायगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग–4 के अशासकीय पत्र संख्या–43/वित्त–4/2018 दिनांक 29जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1807190001, S1807300003 **दिनांक–02/7/2018** से जेनरेट कर जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः /XI/2018/56(31)2016 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए एण्ड ई), कौलागढ़, देहरादून।
3. उप निदेशक, राज्य डी0आर0डी0ए0 प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 1620 XI/2018/ 56(31)16 अलोटमेंट आई डी - S1807190001

अनुदान संख्या - 019 आवंटन पत्र दिनांक -02-Jul-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

1: लेखा शीर्षक 2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम
01 - समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
07 - प्रधान मंत्री आवास योजना(75 % के0 स0)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	130000000	595347000	725347000
	130000000	**595347000**	**725347000**

आवंटन पत्र संख्या - 1620 XI/2018/ 56(31)16 अलोटमेंट आई डी - S1807300003

अनुदान संख्या - 030 आवंटन पत्र दिनांक -02-Jul-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

2: लेखा शीर्षक 2501 - ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
01 - समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय.
01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
03 - प्रधान मंत्री आवास योजना

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	259379000	259379000
	0	**259379000**	**259379000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 854726000